



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 681 राँची, शुक्रवार, 26 कार्तिक, 1945 (श०)
17 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023

संख्या-3/प्रो0-02-01/2022 का० 4789--श्री सौरभ प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 24/20), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 09.01.2023 को सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया गया तथा तत्समय श्री प्रसाद प्रोन्नति हेतु सभी अहर्ताएं पूर्ण करने के फलस्वरूप विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति के द्वारा प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा की गई ।

2. उल्लेखनीय है कि अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व विभागीय संकल्प संख्या 18695(HRMS) दिनांक 30.01.2023 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका- 11 में निम्नवत प्रावधान है :-

“कोई सरकारी सेवक जिसकी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में कंडिका-2(i) में उल्लिखित कोई स्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप में उसकी प्रोन्नति होने से पहले सामने आती है, तो उन पर उसी प्रकार से विचार किया जायेगा जैसे कि विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा गया होता। ऐसे सरकारी सेवक को तब तक प्रोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाय और इस संकल्प में दिए गए उपबंध उसके मामले में भी लागू होंगे।”

4. उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री सौरभ प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 28/20) की प्रोन्नति की अधिसूचना रोकते हुए शेष 64 पदाधिकारियों के प्रोन्नति तथा पदस्थापन हेतु सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 675 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के कुल 64 पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-11 के प्रावधान के आलोक में श्री सौरभ प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 28/20), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 18695(HRMS) दिनांक 30.01.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम फलाफल तक श्री प्रसाद की प्रोन्नति स्थगित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।
